(85)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **के0सी0 जैन**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–361–पीबीआर/'99 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–10–1998 पारित द्वारा अपर बन्दोबस्त आयुक्त, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक–15/अपील/1992–93

.....

मनबहोर पुत्र छोटाई यादव
निवासी–झोलो तहसील–सिंहावल
जिला–सीधी (म0प्र0)

————————आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती सुकवरिया बेवा पत्नी रामौतार
2– राजमान पुत्र रामौतार
3– लौरीक पुत्र रामौतार
4– रामविलास पुत्र रामौतार
निवासीगण–बिलौरा, तहसील–सिंहावल
जिला–सीधी (सीधी)

————————अनावेदकगण

.....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29-6-16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर बन्दोबस्त आयुक्त, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 15/अपील/92–93 में पारित आदेश दिनांक 15–10–1998 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम झोलो तहसील सिंहावल स्थित प्रश्नाधीन भूमि, जिसका खसरा न0 178 क्षेत्रफल 2.00 एकड़ पर कब्जा अंकित कराने बावत् आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । सहायक बन्दोबस्त अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 31/अ–6/90–91 पंजीबद्ध किया और इस

मामले की विस्तृत जांच–पड़ताल कर दिनांक 14.07.92 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से दुखी होकर आवेदक द्वारा न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी के यहॉ अपील प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्रमांक 63/अपील/91–92 पर दर्ज होकर दिनांक 25.11.92 को अपील स्वीकार की गई । बन्दोबस्त अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.92 से परिवेदित होकर अनावेदक ने न्यायालय अपर बन्दोबस्त आयुक्त के यहॉ द्वितीय अपील पेश की । अपील प्रचलन के दौरान ही अनावेदक की मृत्यु हो गई, अतः उसके वारिसानों को राजस्व अभिलेख पर लिया गया तथा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 15.10.98 को आदेश पारित करते हुये द्वितीय अपील स्वीकार कर ली गई । अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 15.10.98 से दुखी होकर आवेदक द्वारा यह इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि, अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक रामौतार के पक्ष में पट्टा आंवटित किया तथा आवेदक का आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया । उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा सन् 1963 के पूर्व से लगातार काबिज होकर खेती कर फसल ले रहा है तथा वर्तमान में काबिज है । सहायक बन्दोबस्त अधिकारी दल क्रमांक–3 के प्रतिवेदन से कब्जा स्पष्ट हो जाता है । लगातार कब्जा होने से उक्त भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है । पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 10.04.91 से यह बात स्पष्ट हो गई कि उक्त विवादित भूमि पर कब्जा स्थल निरीक्षण करने पर आवेदक का पाया गया । उक्त विवादित भूमि पर साक्ष्य लेने पर यह पाया गया कि भूमि सर्वे नम्बर 178 में से 2.00 एकड़ में से 1.00 एकड़ भूमि पर आवेदक मनबहोर का ही कब्जा होना पाया गया । इस प्रकार लम्बे अर्से के कब्जेधारी को बेदखल नहीं किया जा सकता है । अपर बन्दोबस्त आयुक्त का आलोच्य आदेश दिनांक 15.10.98 का मनमाना पूर्ण होकर विधि के विपरीत होने से आदेश निरस्त योग्य है ।

4/ अनावेदक के अभिषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में मुख्य रूप से इस

आशय का उल्लेख किया है कि बन्दोबस्त अधिकारी ने आदेश पारित करते समय व्यवहार न्यायालय में लिये गये निर्णय का कोई ध्यान नहीं रखा । व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी होता है और इस विवेचना के आधार पर अपर बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा अपील स्वीकार करते हुये, बन्दोबस्त अधिकारी का आदेश दिनांक 25.11.92 निरस्त किया और सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.92 स्थिर रखा है । इस प्रकार उपरोक्त आदेश में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती, क्योंकि यह निर्विवाद है कि सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालय के ऊपर बंधनकारी होता है । इस प्रकार उपरोक्त विवेवचना के आलोक में यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.98 विधि अनुकूल है । अतः प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,